11/2/23 राज्य द्वारा एडीपीओ उपस्थित। अभियुक्तगण सहित अधि. मोहित पांडे।
प्रकरण राजीनामा आवेदन पर आदेश हेतु नियत है।

राजीनामा आवेदन के संबंध में फरियादी को पूर्व में सुना जा चुका है।

फरियादी द्वारा स्वेच्छयापूर्वक बिना किसी भय, दबाव व लालच के राजीनामा करना व्यक्त किया गया था।

अभियुक्तगण पर भादसं की धारा– 294, 323, विकल्प में 323/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है। दंड प्रकिया संहिता की धारा 320 में शमन योग्य अपराधों की सूची वर्णित है जिसके अनुसार धारा 294, 323, विकल्प में 323/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध न्यायालय की अनुज्ञा के बिना शमनीय है।

उभयपक्ष के मध्य आपस में राजीनामा होने के तथ्य को ध्यान में रखकर प्रस्तुत राजीनामा आवेदन पत्र भादसं की धारा– 294, 323, विकल्प में 323/34 के संबंध में स्वीकार किया जाता है।

नरेन्द्र

यशपाल

शमन योग्य धारा– 294, 323, विकल्प में 323/34 भादसं के आरोप से अभियुक्तगण सागर उर्फ यशपाल एवं बब्लू नामदेव उर्फ नरेन्द्र नामदेव को दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नही है ।

अभियुक्तगण द्वारा इस प्रकरण में निरोध में बिताई गई अवधि निरंक है। अतः धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र निरंक तैयार कर अभिलेख में संलग्न किया जाए।

अमृता सिंह

अभियुक्तगण की प्रतिभूति एवं बंधपत्र उन्मोचित किये जाते हैं।

सुसंगत अभिलेख में परिणाम प्रविष्ट कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य / अधिवक्ता	न्यायिक सदस्य
खण्डपीठ कं. 10	खण्डपीठ कं. 10

(श्रीमती निधि जैन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला कटनी